न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट– द्वितीय, गोरखपुर।

UPGK040956622026

Criminal Misc. Cases/6504/2026

अजीत मिश्रा–––––बनाम –––––––राकेश उपाध्याय व अन्य

धारा–173(4) बी०एन०एस०एस०

थाना–गोला, जिला– गोरखपुर।

दिनांक–06.07.2026

01. पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० पर सुना गया।

02. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० में मुख्य रूप से अभिकथित किया गया है कि प्रार्थी के जानने वाले राकेश राजमणि उपाध्याय पुत्र राजमणि उपाध्याय ग्राम व पोस्ट जिगनी बुजुर्ग थाना–गोला जनपद गोरखपुर अपनी जमीन बेचने के लिए प्रार्थी से सौदा किये व 2,50,000/– रुपये वर्ष 2024 में लिये तथा कहे कि बहन की शादी के बाद जमीन चलकर बैनामा कर देंगे तथा शादी बीतने के पश्चात प्रार्थी जब राकेश राजमणि उपाध्याय से जमीन लिखने की बात किया, तो आज कल करके टालने लगे। प्रार्थी द्वारा जब बार–बार आग्रह किया गया कि जमीन लिख दीजिए या मेरा पैसा वापस कर दीजिए तब राकेश राजमणि उपाध्याय द्वारा अपने खाता का दो चेक सं०–000005, मु० 1,00,000/– रुपये व चेक सं०–000008 मु० 1,20,000/– रुपये दिनांक 17.04.2026 को प्रार्थी को दिये तथा 30,000/– रुपये बाद में देने का आश्वासन दिया। प्रार्थी जब उपरोक्त दोनों चेकों को भुगतान हेतु केनरा बैंक के अपने खाता में लगाया, तो बैंक द्वारा प्रार्थी को बताया गया कि आन्ध्रा बैंक का विलय हो जाने के कारण चेक का भुगतान नहीं हो सकता। प्रार्थी दिनांक 20.04.2026 को राकेश राजमणि उपाध्याय से मिलकर चेक वापस लेकर दूसरा चेक देने के लिए कहा, तो राकेश राजमणि उपाध्याय व उनके भाई राजू उपाध्याय प्रार्थी को गंदी–गंदी गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे, मना करने पर राकेश राजमणि उपाध्याय प्रार्थी को मारे व उनके भाई राजू उपाध्याय जान से मारने की नियत से प्रार्थी का का गला कसने लगे। प्रार्थी जब चिल्लाया, तो आप–पास के लोग आ गये और बीच–बचाव किये। प्रार्थी वापस जाने लगा, तो राजू उपाध्याय प्रार्थी की बाइक को धक्का मार दिये, जिससे प्रार्थी के बाइक का इंडीकेटर टूट गया तथा अंजाम भुगतने की धमकी दिये। उपरोक्त लोग प्रार्थी को विश्वास में लेकर प्रार्थी के साथ छल व धोखाधड़ी करते हुए प्रार्थी का मु० 2,50,000/– रुपये हड़प लिये। प्रार्थी द्वारा घटना की सूचना थाने पर दी गयी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, फिर प्रार्थी द्वारा

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर को जरिये रजिस्ट्री प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया, लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई।

03. प्रश्नगत मामले में थाने से आख्या आहूत की गयी। थाने की आख्या के अनुसार प्रश्नगत मामले में थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

04. सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

05. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र में कथित घटना के संबंध में समस्त तथ्य प्रार्थी के संज्ञान में है, जिसे वह अपने संपोषित साक्ष्यों से साबित कर सकता है, ऐसी स्थिति में पुलिस द्वारा विवेचना कराये जाने का आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्थाओं ***सुखवासी बनाम स्टेट आफ यू०पी० 2007 (59) ए.सी.सी. 739, रामबाबू गुप्ता बनाम उ०प्र०राज्य 2001(43) ए.सी.सी. 50 इलाहाबाद फुल बैंच तथा सुरेश चन्द्र जैन बनाम मध्य प्रदेश राज्य ए.आई.आर. 2001 सुप्रीम कोर्ट पेज 571*** के अभिमत को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० को परिवाद के रूप में दर्ज किया जाना न्यायसंगत होगा।

आदेश

प्रार्थी अजीत मिश्रा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० परिवाद के रूप में दर्ज हो एवं पत्रावली बयान अंतर्गत धारा–223 बी०एन०एस०एस० हेतु दिनांक 27.08.2026 को पेश हो।

(अभय कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट– द्वितीय,
गोरखपुर।
J.O.Code-UP3646